(36)

संख्या–1232/XXVIII–5–2011–104/2008

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांक: 23 अगस्त 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा में हार्ट केयर सैन्टर के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/20/2010/9622 दिनांक 31.03.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा में हार्ट केयर सैन्टर के निर्माण हेतु प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्यों हेतु ₹12.36 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹1.16 लाख (एक लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹1.16 लाख (रुपये एक लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रानीखेत को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

5– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

6– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दि0 31.03.2011 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार अनुसार किया जायेगा।

7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

.....2

8– यदि विभिन्न मदों हतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाए ।

9– सामग्री कय व निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

10– उपरोक्त के अतिरिक्त आगणन में प्राविधानित (एकमुश्त) ध्वरतीकरण कार्य हेतु नियमानुसार ध्वरतीकरण कार्य की मदवार मात्रा विवरण व दर सहित लागत का विवरण एवं ध्वरतीकरण से प्राप्त होने वाली सामग्री की मात्रा व दर सहित धनराशि के आंकलन सहित आगणन पृथक से उपलब्ध करा दिया जाए।

11– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 17–अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण, आयोजनागत–00– 24–पृथक निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा ।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–129(पी0)/XXVII(3)11–12 दिनांक 12 अगस्त 2011 प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–1232(1)/XXVIII–5–2011–104/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा ।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम रानीखेत, अल्मोड़ा।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव